भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा**

**तारांकित** प्रश्‍न संख्‍या **173\***

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 28 दिसम्‍बर, 2018/7 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है।

**उर्वरकों की उपलब्‍धता**

**173\*. श्रीमती विप्लव ठाकुरः**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों की आपूर्ति संबंधी राष्ट्रीय नीति की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं;

(ख) उर्वरकों की वार्षिक मांग कितनी है और इनकी अल्प आपूर्ति के क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में कितनी-कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया गया और ऐसे आयातों पर कितना-कितना व्यय हुआ;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उर्वरकों पर वर्ष-वार कितनी-कितनी राजसहायता दी गई है;

(ङ) क्या सरकार इन राजसहायताओं में कमी करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार को अपने देश से पड़ोसी देशों को उर्वरकों की तस्करी किए जाने की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे रोके जाने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

**उत्‍तर**

**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन तथा रसायन और उर्वरक मंत्री**

 **(श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)**

\*(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*\*\*

-: 2 :-

**‘’उर्वरकों की उपलब्‍धता” के संबंध में राज्‍य सभा में दिनांक 28.12.2018 को उत्‍तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं. 173\* के भाग (क) से (च) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण।**

**(क):** किसानों को अच्‍छी गुणता वाले उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार ने आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत उर्वरकों को एक आवश्‍यक वस्‍तु घोषित किया है तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 प्रख्‍यापित किया है। उर्वरकों के विनिर्देश उक्‍त आदेश में विहित हैं। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश में ऐसे उर्वरकों की बिक्री पूर्णतया प्रतिबंधित की गई है जो विहित मानकों के अनुरूप नहीं है। एफसीओ के प्रावधान के किसी भी उल्‍लंघन के लिए प्रशासनिक एवं दण्‍डात्‍मक दोनों प्रकार की कार्रवाई की जाती है।

 उर्वरक विभाग (डीओएफ) को किसानों को वहनीय मूल्‍य पर उर्वरक उपलब्‍ध कराने के लिए अधिदेश प्राप्‍त है। अधिदेश का ‘’वहनीय मूल्‍य‘’ भाग राजसहायता प्राप्‍त उर्वरकों में परिवर्तित हो जाता है। पूरे देश में राजसहायता प्राप्‍त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली ([www.urvarak.co.in](http://www.urvarak.co.in)) द्वारा की जाती है जिसे एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) भी कहा जाता है।

 किसानों को सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्‍य (एमआरपी) पर यूरिया उपलब्‍ध कराया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा फार्मगेट पर उर्वरकों की सुपुर्दगी लागत तथा यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार वसूली के बीच का अन्‍तर यूरिया विनिर्माता/आयातक को राजसहायता के रूप में दिया जाता है।

सरकार दिनांक 01.04.2010 से पोषकतत्‍व आधारित राजसहायता (एनबीएस) स्‍कीम कार्यान्वित कर रही है। उक्‍त स्‍कीम के अंतर्गत, वार्षिक आधार पर निर्धारित राजसहायता की एक नियत राशि एफसीओ मानकों के राजसहायता प्राप्‍त फास्‍फेटयुक्‍त एवं पोटाशयुक्‍त (पीएण्‍डके) उर्वरकों के प्रत्‍येक ग्रेड पर उसके पोषकतत्‍व के आधार पर दी जाती है।

**(ख):** चालू वर्ष 2018-19 में उर्वरकों अर्थात यूरिया, डीएपी, एमओपी तथा एनपीके की अनुमानित मांग क्रमश: 316.05 लाख मी.टन, 98.41 लाख मी.टन, 36.81 लाख मी.टन तथा 97.68 लाख मी.टन है। नवम्‍बर 2018 तक उर्वरकों अर्थात यूरिया, डीएपी, एमओपी तथा एनपीके की उपलब्‍धता 198.12 लाख मी.टन, 71.52 लाख मी.टन, 21.27 लाख मी.टन तथा 66.48 लाख मी.टन की बिक्री की तुलना में क्रमश: 203.68 लाख मी.टन, 77.85 लाख मी.टन, 23.22 लाख मी.टन तथा 76.69 लाख मी.टन है। यह देखा जा सकता है कि उर्वरकों की उपलब्‍धता बिक्री से अधिक है।

**(ग):** विगत तीन वर्ष तथा चालू वर्ष (नवम्‍बर, 2018 तक) के दौरान आयातित यूरिया की वर्षवार मात्रा तथा मूल्‍य निम्‍नवत हैं:-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **वर्ष**  | **ओमिफ्को से** | **एसटीईज के माध्‍यम** | **आयातित कुल यूरिया** | **मूल्‍य** |
| **(लाख मी.टन)** | **(लाख मी.टन)** | **(लाख मी.टन)** | **(मिलियन अमेरिकी डालर में)** |
| 2015-16 | 20.77 | 63.96 | 84.73 | 2,087.61 |
| 2016-17 | 20.02 | 34.79 | 54.81 | 1,047.28 |
| 2017-18 | 20.92 | 38.83 | 59.75 | 1,295.72 |
| 2018-19\* | 14.39 | 27.64 | 42.03 | 1,048.59 |

\*नवम्‍बर 2018 तक

-3-

उर्वरकों (यूरिया से भिन्‍न) का आयात मुक्‍त है जो सामान्‍यत: मुक्‍त सामान्‍य लाइसेंस (ओजीएल) के रूप में जाना जाता है। विभिन्‍न कम्‍पनियां अपने वाणिज्यिक निर्णयों के अनुसार इन उर्वरकों का आयात करती हैं। सरकार इन आयातों के मूल्‍य का रख-रखाव नहीं करती है। विगत तीन वर्ष तथा चालू वर्ष (नवम्‍बर 2018 तक) के दौरान आयातित पीएण्‍डके उर्वरकों की मात्रा के वर्ष-वार ब्‍यौरे निम्‍नवत हैं:-

<आंकड़े लाख मी.टन में>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **वर्ष**  | **डीएपी** | **एनपीके** | **एमओपी#** |
| 2015-16 | 60.08 | 6.29 | 32.43 |
| 2016-17 | 43.85 | 5.21 | 37.36 |
| 2017-18 | 42.17 | 4.99 | 47.36 |
| 2018-19\* | 52.20 | 4.04 | 27.53 |

\*नवम्‍बर 2018 तक

# एमओपी में सीधे अनु्प्रयोग के रूप में इस्‍तेमाल के लिए तथा एनपीके विनिर्माण के रूप में दोनों शामिल हैं।

**(घ):** गत तीन वर्ष तथा चालू वर्ष 2018-19 (24.12.2018 की स्थिति के अनुसार) के दौरान उर्वरकों पर दी गई राजसहायता के ब्‍यौरे निम्‍नवत हैं:

(रुपए करोड़ में)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| वर्ष  | स्‍वदेशी यूरिया | आयातित यूरिया | स्‍वदेशी पीएण्‍डके | आयातित पीएण्‍डके | शहरी कंपोस्‍ट |
| 2015-16 | 38,200.00 | 16,400.00 | 11,969.00 | 9,968.56 | - |
| 2016-17 | 40,000.00 | 11,256.59 | 11,842.88 | 6,999.99 | 0.55 |
| 2017-18 | 36,973.70 | 9,980.00 | 14,337.00 | 7,900.00 | 7.26 |
| 2018-19(24.12.2018 **की स्थिति के अनुसार**) | 29067.12 | 8796.65 | 13640.61 | 8775.98 | 6.92 |

**(ड.):** जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्‍ताव नहीं है।

**(च):** भारत सरकार ने आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम, 1955 (ईसीए) के तहत उर्वरक को एक आवश्‍यक वस्‍तु घोषित किया है और आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम के तहत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश (एफसीओ), 1985 तथा उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 अधिसूचित किए हैं। राज्‍य सरकारों को उर्वरकों की तस्‍करी रोकने के लिए पर्याप्‍त शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्‍य सरकारों को एफसीओ, 1985 तथा आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का उल्‍लंघन करने वाले किसी व्‍यक्‍ति की तलाशी लेने, जब्‍ती करने और उसके विरुद्ध दण्‍डात्‍मक कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। गत तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान 30.11.2018 तक सभी भू-सीमाओं के सीमा रक्षक बलों द्वारा भारतीय सीमाओं पर उर्वरकों की जब्‍ती के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा एकत्र ब्‍यौरे निम्‍नवत हैं:-

-: 4 :-

**भारत-पाकिस्‍तान तथा भारत-बांग्‍लादेश सीमा:-**

 उर्वरक जब्‍ती (किग्रा.में)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **विवरण**  | **वर्ष 2015** | **2016** | **2017** | **2018 (30.11.18 तक)** |
| की गई जब्‍ती  | 7749 | 587 | 1515 | 557 |

**भारत-नेपाल तथा भारत-चीन सीमा:-**

 उर्वरक जब्‍ती (किग्रा.में)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **विवरण**  | **वर्ष 2015** | **2016** | **2017** | **2018 (30.11.18 तक)** |
| **की गई जब्‍ती**  | 2,23,250 | 70,650 | 64,300 | 36,987 |

**भारत-भूटान सीमा:- शून्‍य**

**भारत-म्‍यांमार सीमा**

 उर्वरक जब्‍ती (किग्रा.में)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **विवरण**  | **वर्ष 2015** | **2016** | **2017** | **2018 (30.11.18 तक)** |
| की गई जब्‍ती  | 12,000 | शून्‍य | शून्‍य | 1,100 |

गृह मंत्रालय द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि भारतीय सीमाओं (आईबी) पर सीमा पार तस्‍करी को रोकने के लिए सीमा रक्षक बलों द्वारा निम्‍नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(क) बीओपी की संवेदनशीलता की मैपिंग की गई है तथा सीमा पार से अपराधों के आलोक में समय-समय पर उनकी समीक्षा की जा रही है। अतिरिक्‍त जनशक्ति की तैनाती, विशेष निगरानी, उपस्‍कर, वाहन तथा अन्‍य अवसंरचनात्‍मक सहायता द्वारा बीओपी को मजबूत किया जा रहा है।

(ख) सीमा की रात-दिन चौकसी अर्थात् गश्‍त लगाकर, नाका लगाकर, पूरी भारतीय सीमा पर निगरानी पोस्‍ट स्‍थापित करके तथा बीओपी की मौजूदा सुरक्षा को मजबूत करके सीमाओं की प्रभावी निगरानी करना।

(ग) पाकिस्‍तान तथा बांग्‍लादेश सीमाओं के साथ अंतरराष्‍ट्रीय सीमा पर सीमा बाड़ लगाना तथा सीमा पर दूधिया प्रकाश (बार्डर फ्लडलाइट) की व्‍यवस्‍था करना।

(घ) भारत-पाकिस्‍तान एवं भारत-बांग्‍लादेश सीमा के साथ नदी क्षेत्र की निगरानी के लिए वाटरक्राफ्ट्स/नौकाओं का इस्‍तेमाल तथा बीओपी चलाना।

(ड.) सहयोगी एजेंसियों के साथ आसूचना साझा करना तथा सघन सम्‍पर्क स्‍थापित करना।

(च) सीमा पर तथा आंतरिक क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाना। बल बहुगुणकों तथा हाई-टेक निगरानी उपस्‍करों को लगाना।

(ज) गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए औचक जांच तथा नाकाबंदी करना।

\*\*\*\*\*\*\*